



झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर (साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस),
सिरखा टोली, नामकुम, राँची - 834010 (झारखण्ड)

पत्रांक :- SBTE-207/2017/ 621

/राँची, दिनांक :- 06/08/19

प्रेषक,

कुलसचिव,
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सह-सचिव, रा0प्रा0शि0 पर्षद, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
मधुपुर पोलिटेकनिक
मधुपुर, झारखण्ड।

विषय:- मधुपुर पोलिटेकनिक, मधुपुर शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के अस्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि विभागीय संकल्प सं0- SBTE-89/2014/1184 दिनांक- 02.08.2019 के कंडिका- 7(ii) के अनुसार "जिन संस्थानों ने अपने संबद्धता हेतु Application for Affiliation अथवा Affiliation Fee संबंधित शैक्षणिक वर्ष के 15 मई के पूर्व SBTE, Ranchi कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में क्या आर्थिक दण्ड लगाया जाय, इसके लिये निदेशक (त0शि0) के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

अतः उपरोक्त के आलोक में पूर्व में निर्गत पत्रांक- SBTE-207/2017/65 दिनांक-14.03.2019 को रद्द करते हुए आपके संस्थान को निम्न अंकित शर्तों के साथ शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है।

"आर्थिक दण्ड निर्धारण करने वाले समिति द्वारा अगर आर्थिक दण्ड निर्धारित की जाती है तो संस्थान को 10 दिनों के अंदर उस आर्थिक दण्ड का भुगतान करना होगा।"

विश्वासभाजन

कुलसचिव

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सह-सचिव, रा0प्रा0शि0 पर्षद, राँची।

Dipak
6/8/19